

31 अक्टूबर 2000 को सुरक्षा परिषद् ने अपनी 4213 वीं मीटिंग में प्रस्ताव 13 25 को अपनाया

प्रस्ताव 13 25

सुरक्षा परिषद् अपने 25 अगस्त 1999 के 1261 (1999)ए 17 सितंबर 1999 के प्रस्ताव संख्या 1265 (1999), 19 अप्रैल 2000 के 1296 (2000) के प्रस्तावों तथा संगठन प्रधान के प्रासांगिक वक्तव्यों के साथ-साथ व संयुक्त राष्ट्र के महिला (SC/6816) अधिकार तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के अवसर पर प्रेस को दिए गए वक्तव्यों को भी याद दिलाता है।

साथ ही 'बीजिंग उद्घोषणा तथा प्लेटफार्म फॉर एक्शन' (A/52/231) एवं संयुक्त राष्ट्र के तेईसवे विशेष अधिवेशन में इक्कीसवीं शताब्दी के महिलाएं 2000; लैंगिक समानता, विकास और शांति (A/S-23/10/Rev-I) विषय तथा विशेष रूप से महिलाओं और सशस्त्र संघर्ष से संबंधित प्रतिबद्धताओं को भी याद किया।

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उद्देश्य और सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए और चार्टर के नेतृत्व में सुरक्षा परिषद् की अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के प्राथमिक दायित्व को भी ध्यान में दिलाता है।

इसके अलावा सशस्त्र संघर्ष से विपरीत रूप से प्रभावित असैनिक, विशेष रूप से महिलाएं और बच्चे, जिनकी संख्या भारी बहुमत में होती है तथा मानसिक रूप से पीड़ित, शरणार्थी और विस्थापित व्यक्ति योद्धा और सशस्त्र संघर्ष के कारण उन पर

पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को स्वीकारते हुए स्थायी शांति और पुनः मैत्री पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभाव पर भी चिंता जताई।

संघर्ष समाधान व इसके रोकथाम तथा शांति स्थापन प्रक्रिया में महिलाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि करते हुये शांति व सुरक्षा को बनाये रखने तथा इसके विकास हेतु किये गये सभी प्रयत्नों में उनकी पूर्ण सहभागिता व समान भागीदारी के महत्त्व को स्वीकार किया तथा संघर्ष समाधान व इसके रोकथाम के संदर्भ में निर्णायक स्तर पर निर्णय निर्माण प्रक्रिया में उनकी भूमिका के विकास की आवश्यकता पर बल देता है।

- संघर्ष के दौरान व पश्चात् महिलाओं व बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी तथा मानवाधिकार कानूनों के पूर्ण क्रियान्वयन की आवश्यकता की पुष्टि करता है।

- सभी पक्षों के लिए आवश्यक है कि शत्रु द्वारा बिछाई सुरंगों के जाल को हटाने तथा उनके प्रति जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों में महिलाओं व बालिकाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं पर विचार करने पर बल देता है।

- शांति स्थापन प्रक्रिया में मुख्यतः लिंग परिप्रेक्ष्य में तत्काल सुधार की आवश्यकता है इस सन्दर्भ में विंडहॉक की घोषणा तथा नामबीबिया प्लान ऑफ एक्शन ऑन मेनस्ट्रीमिंग ए जैन्डर पर्सपेक्टिव का बहुआयामी शान्ति समर्थन कार्यक्रम (S/2000/693) की ओर ध्यान आकर्षित करता है।

- संघर्ष की परिस्थितियों में महिलाओं व बालिकाओं के मानवाधिकारों व विशिष्ट आवश्यकताओं की सुरक्षा में संलग्न समस्त शांति स्थापन कार्यकर्ताओं के विशिष्ट प्रशिक्षण के महत्त्व पर 8 मार्च 2000 को प्रधान द्वारा प्रेस को दिये गये वक्तव्यों में निहित सुझावों के महत्त्व को पहचानता है।

- सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में महिलाओं तथा बालिकाओं पर होने वाले प्रभाव को समझकर संस्थागत प्रभावी व्यवस्था तथा उनकी पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की जाए और शान्ति प्रक्रिया में उनकी पूर्ण भागीदारी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा बनाए रखने में व उसके विकास में सुनिश्चित की जाए।

सशस्त्र संघर्ष का महिलाओं तथा बालिकाओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों से संबंधित समेकित आंकड़ों की आवश्यकता से ध्यान करते हुये यह -

- 1) सदस्य राज्यों का क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णायक संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि तथा संघर्ष के समाधान, प्रबंधन तथा रोकथाम हेतु संरचना के विकास के लिये प्रेरित करता है।
- 2) शांति प्रक्रिया व संघर्ष समाधान में निर्णय निर्माण स्तर पर महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि के लिये निर्धारित कार्य योजना के क्रिया-व्ययन हेतु महासचिव को प्रोत्साहित करता है।
- 3) महासचिव कार्यालय के सुसंचालन हेतु अधिकाधिक महिला प्रतिनिधियों की नियुक्ति के लिये महासचिव को प्रेरित करना तथा इस संदर्भ में यथाक्रम केन्द्रीकृत पद्धति के अनुसार उम्मीदवार मुहैया करवाने के लिये सदस्य राज्यों को आह्वान करता है।
- 4) इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित अभियानों में महिलाओं का योगदान बढ़ाया जाए। विशेषतः सैनिक पर्यवेक्षक, सिविल पुलिस तथा मानवअधिकार व मानवीय कार्यकर्ता के रूप में महिलाओं की भूमिका के विस्तार हेतु महासचिव को प्रेरित करता है।
- 5) शांति-स्थापन कार्यवाही में लैंगिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए महासचिव को यथोचित क्षेत्रीय कार्यवाही में लैंगिक घटकों के सम्मिलन यथोचिति का आश्वासन देने को प्रेरित करता है।
- 6) महासचिव से सदस्य राज्यों को प्रशिक्षण मार्गदर्शन तथा महिलाओं की विशिष्ट जरूरतों, सुरक्षा व अधिकारों से संबंधित सामग्री के साथ-साथ शांति स्थापन व शांति निर्माण में महिलाओं को शामिल करने के महत्त्व से संबंधित सामग्री उपलब्ध करवाने तथा परिनियोजन उपक्रम में सैनिक व असैनिक पुलिस कार्यकर्ताओं के राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपरोक्त तथ्यों के साथ-साथ एच.आई.वी./एड्स जागरूकता प्रशिक्षण को स्थान देने के लिए सदस्य राज्यों को आमंत्रित करने के लिए आग्रह करता है। साथ ही महासचिव से शांति विस्थापनकार्यवाही में संलग्न असैनिक कार्यकर्ताओं के लिये समान प्रशिक्षण के आवश्यकता देने का आग्रह करता है।
- 7) सदस्य राज्यों को 'यूनाइटेड नेशन फंड फॉर वूमन 'यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन्स फंड' यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीस' तथा अन्य संदर्भित

संगठनों द्वारा अनुदानित कार्यक्रमों सहित 'लैंगिक-संवेदनशीलता प्रशिक्षण' कार्यक्रम के लिये स्वैच्छिक रूप से वित्तीय, तकनीकी सहायता में वृद्धि के लिये प्रेरित करता है।

- 8) सभी संलग्न कार्यकर्ताओं से शांति समझौता वार्ता तथा इसके क्रियान्वयन में लैंगिक परिप्रेक्ष्य के साथ-साथ (अ) संघर्ष पश्चात् पुननिर्माण, पुनस्थिरीकरण, पुनर्वास, पुनर्गठन, देश-प्रत्यावर्तन के समय महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं पर विचार करने (ब) संघर्ष समाधान हेतु स्थानीय महिलाओं के शांति प्रयत्नों व संबंधित स्वदेशीय प्रक्रियाओं सहित शांति समझौते के क्रिया-व्ययन में महिलाओं को सम्मिलित करने वाले सभी प्रयत्नों को समर्थन देने वाले साधनों को अपनाने तथा महिलाओं के मानवाधिकारों विशेषतः संवैधानिक, चुनाव प्रणाली, पुलिस तथा-यायिर प्रक्रिया से संबंधित अधिकारों की सुरक्षा हेतु आवश्यक साधनों को अपनाने के लिये प्रेरित करता है।
- 9) सशस्त्र संघर्ष में संलग्न सभी पक्षों से सामान्य जन के रूप में महिलाओं की सुरक्षा व अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनो विशेषतः 'जेनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949' तथा संयुक्त आदिलेख 1977, 'द रिफ्यूजी कन्वेंशन आफ 1951' तथा आदिलेख 1967 'द कन्वेंशन सिक्विरिटी काउंसिल' 5 - 'सीड. 1979 पर 31 अक्टूबर 2000 को आयोजित SC/6942 421 वें सभा में जारी प्रेस विज्ञप्ति तथा वैकल्पिक आदिलेख 1999, 'यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन आन द राइट्स आफ द चाइल्ड 1989' तथा दो वैकल्पिक आदिलेख 25 मई 2000 के साथ-साथ 'रोम स्टेट्यूट आफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट' को ध्यान में रखने का आह्वान करता है।'
- 10) सशस्त्र संघर्ष से संबंधित सभी दलों से लिंग आधारित हिंसा, यौन दुर्व्यवहार के विविध स्वरूपों के साथ-साथ सशस्त्र संघर्ष के दौरान होने वाले हिंसा के विविध स्वरूपों से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु विशिष्ट उपाय अपनाने के लिए आह्वान करता है।
- 11) सभी राज्यों की जातिसंहार, अमानवीय अपराध, युद्ध अपराध सहित महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग चलाये

जाने संबंधी जिम्मेदारियों पर बल देता है। साथ ही यथासंभव क्षमादान के प्रावधान की आवश्यकता पर भी बल देता है।

- 12) सशस्त्र संघर्ष में संलग्न सभी पार्टियों से शरणार्थी शिविर तथा पुनर्वास के सभ्य व मानवतावादी विशेषताओं, विशेषतः महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ-साथ इसके 19 नवंबर 1998 के 1208 (1998) समाधान को भी ध्यान रखने की अपील करता है।
- 13) निशस्त्रीकरण, सैन्य विघटन तथा पुनर्एकीकरण करने की प्रक्रिया में संलग्न सभी कार्यकर्ताओं से महिलाओं की विभिन्न आवश्यकता तथा भूतपूर्व पुरुष योद्धा व उन पर आश्रितों की आवश्यकताओं पर विचार करने के लिये प्रेरित करते हैं।
- 14) संयुक्त राष्ट्र चार्टर के 41वें अनुच्छेद के अंतर्गत कदम उठाते समय उपयुक्त मानवतावादी छूट देने हेतु महिलाओं व बालिकाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये असैनिक जनसंख्या पर इसके संभाव्य परिणामों पर विचार करने की तत्परता की पुष्टि करता है।
- 15) सुरक्षा परिषद मिशन में लैंगिक प्रमुखता तथा महिलाओं के अधिकारों को स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय महिला समूह के साथ विचार विर्मश में शामिल करने की स्वेच्छा को परिव्यक्त करता है।
- 16) महासचिव को सशस्त्र संघर्ष का महिलाओं और बालिकाओं पर प्रभाव, शांति निर्माण में महिलाओं की भूमिका तथा शांति प्रक्रिया और संघर्ष समाधान के लैंगिक आयामों पर अध्ययन व सुरक्षा परिषद के समक्ष अध्ययन के परिणामों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा इसको सभी सदस्य राज्यों को उपलब्ध कराने के लिए भी आमंत्रित करता है।
- 17) महासचिव सुरक्षा परिषद् के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में शांति स्थापन मिशन तथा महिलाओं व बालिकाओं से संबंधित अन्य समस्त पहलुओं में लिंग को मुख्यधारा में शामिल करने से संबंधित विकास को यथानुसार सम्मिलित करने की विनती करता है।
- 18) वस्तुस्थिति से सक्रिय रूप से अवगत रहने का निर्णय लिया ।